UPFR050022202022

Misc. Civil Cases/248/2022

न्यायालय सिविल जज (सी०डि०),फर्रूखाबाद।

उपस्थितः प्रीतिमाला चतुर्वेदी, उ०प्र०न्यायिक सेवा।(यू०पी० 2217)

प्रकीर्ण वाद संख्या-248/70/2022

अमर सिंह पुत्र स्व० छोटे सिंह निवासी राजेपुर राठौरी परगना अमृतपुर तहसील अमृतपुर जिला फर्रूखाबाद।

......आवेदक।

प्रति

1. समर सिंह पुत्र स्व० छोटे सिंह निवासी राजेपुर राठौरी परगना अमृतपुर तहसील अमृतपुर जिला फर्रूखाबाद।
2. मन्नी देवी पुत्री छोटे सिंह निवासी मौरा भिंड मध्य प्रदेश।
3. बिट्टो देवी पुत्री छोटे सिंह पत्नी रामवीर सिंह निवासी भिथराउमई असद नगर जिला एटा।
4 किरन पुत्री छोटे सिंह पत्नी प्रदीप निवासी रानीपुर हरेर जिला मैनपुरी संरक्षक पति प्रदीप।

.... विपक्षीगण।

17.09.2024

निर्णय

1. पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र 3 ग पर सुना जा चुका है।

2. प्रार्थी अमर सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र 3 ग इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि मृतक छोटे सिंह के नाम से अवशेष पेंशनर धनराशि में जमा धनराशि से संबंधित है। जिनकी मृत्यु दिनांक 09.02.2020 में हुई है, का विधिक वारिस हैं। मृतक के नाम रक्षा पेंशनर Ex. No. 2842868 RFN "F" में जमा धनराशि मु० 9,07,591/-रूपये के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किये जाने की याचना की है।

3. जबकि विपक्षीगण/ शपथीगण समर सिंह, मुन्नी, किरन व बिट्टो द्वारा अपने-अपने शपथपत्र दाखिल कर यह प्रख्यापित किया गया है कि आवेदक मृतक का पुत्र है एवं विधिक रूप से प्रार्थी उत्तराधिकारी है। शपथीगण समर सिंह, मुन्नी, किरन व बिट्टो ने अपने शपथ पत्र में कथन किया है मृतक के नाम से जो भी रकम हो प्रार्थी को दे दिया जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

4. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय के आदेशान्तर्गत वादी द्वारा पैरवी दाखिल कर संबंधित को नोटिस, मुनादी तथा इश्तिहार आम व खास को सूचनार्थ प्रकाशन कराया गया है, फलस्वरूप मृतक के निकट संबंधियों में शपथीगण द्वारा अपना शपथ पत्र

Digitally signed by PREETIMALA CHATURVEDI
Date: 2024.09.18 12:07:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दाखिल कर मृतक को प्रार्थी का पिता बताते हुए मृतक के नाम जमा धनराशि को पाने के संबंध में आवेदक के नाम उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने में कोई आपत्ति न होने का प्रख्यापन किया गया है।

6. आवेदक द्वारा पत्रावली पर मूल परिवार रजिस्टर, मूल मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, मूल मुख्य कोषाधिकारी की आगणन शीट दाखिल किये गये है।

7. उपरोक्त दाखिल प्रलेखों, विपक्षीगण के शपथ पत्र, मृतक के निकट संबंधी के शपथ पत्रों के परिशीलन के उपरान्त न्यायालय इस अभिमत की है कि मृतक छोटे सिंह के नाम से रक्षा पेंशनर Ex. No. 2842868 RFN “F” में जमा धनराशि मु० 9,07,591/-रूपये देय है, का आवेदक अमर सिंह के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने योग्य है।

आदेश

8. प्रार्थना पत्र 3 ग स्वीकार किया जाता है तथा मृतक छोटे सिंह के नाम से रक्षा पेंशनर Ex. No. 2842868 RFN “F” में जमा धनराशि मु० 9,07,591/-रूपये देय के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र आवेदक अमर सिंह के नाम से बनाया जाये।

9. आवेदक इस बात का वचन पत्र एवं एक प्रतिभू-पत्र उपरोक्त धनराशि के बावत प्रस्तुत करे कि यदि वह भविष्य में उत्तराधिकारी नहीं पाया जाता है तो उपरोक्त धनराशि न्यायालय में जमा करेगा। आवेदक द्वारा उक्त धनराशि के बावत आवश्यक स्टाम्प शुल्क एवं आवश्यक पैरवी अन्दर 30 दिन में करें। आवेदक द्वारा आवश्यक स्टाम्प शुल्क अदा करने के पश्चात ही उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी हो।

(**प्रीतिमाला चतुर्वेदी**)
सिविल जज(सी०डि),
फर्रूखाबाद।